



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



परिपत्र

परिपत्र संख्या: पीएफआरडीए/2026/53/आरईजी-पीओपी/09

दिनांक: 26.10.2026

सेवा में,

सभी उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), सभी केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) एवं अन्य हितधारक

विषय: एनपीएस एवं एनपीएस लाइट के अंतर्गत सभी योजनाओं के संबंध में पीओपी पर लागू शुल्क संरचना

“एनपीएस एवं एनपीएस लाइट के अंतर्गत सभी योजनाओं के संबंध में पीओपी पर लागू शुल्क संरचना”. विषय से संबंधित पीएफआरडीए के दिनांक 28.08.2026 के परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2026/46/आरईजी-पीओपी/08 का संदर्भ लें।

- उपर्युक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए, उसमें विनिर्दिष्ट संशोधित शुल्क संरचना के कार्यान्वयन की तिथि, जो पूर्व में 01.10.2026 निर्धारित की गई थी, उसे संशोधित करके 01.12.2026 किया जाता है।
- तदनुसार, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), लागू शुल्कों में कमी करते हुए संशोधित शुल्क संरचना को **01.12.2026** से लागू करेंगे।
- दिनांक 28.08.2026 के परिपत्र के अन्य सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

ASHISH
KUMAR

Digitally signed by
ASHISH KUMAR
Date: 2026.10.26
15:42:08 +05'30'

(आशीष कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक

विनियमन अंशदान प्रबंधन विभाग (पीओपी)

किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



Circular

Circular No.: PFRDA/2026/53/REG-POP/09

Date: 26.10.2026

To,

All Point of Presence (PoPs), All Central Recordkeeping Agencies (CRAs) and other stakeholders

Subject: Charge structure applicable to PoPs for All Schemes under NPS and NPS Lite

Reference is invited to PFRDA Circular No. PFRDA/2026/46/REG-PoP/08 dated 28.08.2026 on the subject "*Charge structure applicable to PoPs for All Schemes under NPS and NPS Lite*".

2. In partial modification of the aforesaid circular, the date of implementation of the revised charge structure specified therein, which was earlier prescribed as 01.10.2026, stands revised to 01.12.2026.
3. Accordingly, the Central Recordkeeping Agencies (CRAs) shall implement the revised charge structure for deduction of applicable charges with effect from **01.12.2026**.
4. All other provisions of the circular dated 28.08.2026 shall remain unchanged.

Yours Sincerely,

ASHISH KUMAR

Digitally signed by ASHISH
KUMAR
Date: 2026.10.26 15:41:04
+05'30'

(Ashish Kumar)

Chief General Manager

Regulation Contribution Management Department (PoP)